झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्

(झारखण्ड सरकार की स्वायत्तशासी एवं वैद्यानिक निकाय)
ब्लॉक–डी, वन भवन परिसर, डोरण्डा, राँची – 834 002

Advt. No. 01/2016 **Ranchi/3rd November, 2016**

जैवविविधता विरासत स्थल (**Biodiversity Heritage Site**)
सुझाव आमंत्रण

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–37 के अंतर्गत राज्य सरकार स्थानीय निकाय से विचार–विमर्श कर सम्पन्न जैव विविधता वाले ऐसे स्थलों को जहां अनेकों प्रजातियों/किस्मों (पेड़–पौधे, जीव–जन्तु इत्यादि) की प्रचुरता अपने प्राकृतिक स्वरूप में पाई जाती है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है, जिससे जैव विविधता के संरक्षण को मदद मिले। ऐसे क्षेत्र जिनमें जंगली किस्मों की (वाइल्ड रिलेटिव) प्रचुरता हो, उन्हें भी विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा सकता है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–37 की उपधारा–2 के अंतर्गत इन विरासत स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–37 की उपधारा–3 के अंतर्गत विरासत स्थल के अधिसूचित होने से उन क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों/समूहों के पुर्नवास या मुआवजा हेतु राज्य सरकार योजना बना सकती है।

जैव विविधता को संरक्षित करने की दृष्टि से स्थापित किये गये विरासत स्थल, पर्यटन, शिक्षा और जनजागृति के स्थल के रूप में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से जैव विविधता विरासत स्थलों के चयन हेतु उपयुक्त स्थलों के संबंध में पर्षद् द्वारा आम जनों से विस्तृत सूचना आमंत्रित की जाती है।

स्थलों के संबंध पर्षद् को सूचना निम्नलिखित पते पर डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है :–

डाक पता

सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्,
ब्लॉक–डी, वन भवन परिसर,
डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

ई–मेल पता

ई–मेल पता– jbbranchi@gmail.com